न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—396/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/396)

1. रामदयाल पुत्र श्री जग्गा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामपाल पुत्र श्री जग्गा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम नयागांव कुमावतों का, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 राजस्व वाद संख्या 205/2021

उपस्थितः—

1. श्री, गिरीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः— 01.11.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 205/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किए जाने पर आदेश 5 सीपीसी की पालना किए बिना तामिल की विधिवत प्रक्रिया अपनाए बिना अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 23.10.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने कार्यवाही रेस्पोडेंट द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए

राजस्व अपील प्राधिकारी

नामांतरकरण संख्या 870 दिनांक 25.10.2018 डिक्री बंटवारा आदेश से हुए इंद्राज अनुसार खसरा नम्बर 391 रामदयाल अपीलांट के हिस्से में व खसरा नम्बर 392 रामपाल रेस्पोडेंट के हिस्से में दर्ज होने की जमाबंदी की नकल रिकार्ड पर लिया जाकर अपने आदेश दिनांक 11.9.2019 द्वारा रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 है0 में से 10 फुट चौडा व 200 फुट लम्बा सार्वजनिक रास्ता दिलवाए जाने के आदेश पारित कर दिए। उपखण्ड अधिकारी केकडी के आदेश दिनांक 11.9.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.2.2021 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए वैकल्पिक मार्ग की जानकारी एवं धारा 251ए के नियम 69(3) की पालना करते हुए निर्णय पारित किए जाने का आदेश प्रदान किया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.2.2021 में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अपने अस्पष्ठ एंव कारण रहित निर्णय दिनांक 30.11.2022 द्वारा स्वीकार करते हुए पूर्व के आदेश को यथावत रखने के आदेश पारित कर दिए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 205/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना किए बिना एवं धारा 251–ए के नियम 69(3) की पालना किए बिना साथ ही वैकल्पिक रास्ते बाबत जांच किए बिना निर्णय पारित किया हैं। विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिस पर पूर्व में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो जरिए राजीनामा दिनांक 30.6.2017 को वादी/रेस्पोडेंट एवं प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर काबिज स्थिति अनुसार बंटवारा किया जाना स्वीकार किए जाने पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 30.6.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई जिसमें खसरा नम्बर 392 रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में तथा खसरा नम्बर 391 अपीलांट के हक व हिस्से में दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं की खातेदारी खसरा नम्बर 392 में बंटवारे के वाद की अंतिम डिक्री पारित होने तक खसरा नम्बर 366, 728 तथा 386 व 387 सिवायचक भूमि में से अपने खसरा नम्बर 392 तक आता–जाता रहा है। बंटवारे की अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2018 को जारी हो जाने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 386 व 387 की सिवायचक जमीन को स्वयं की खातेदारी खसरा नम्बर 392 में मिला लिया इसलिए उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत खसरा नम्बर 391 में से स्वयं के खसरा नम्बर 392 में जाने के लिए परीक्षण न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रति प्रेषित किए जाने के पश्चात भी परीक्षण न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते की जांच किए

1.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बिना सरसरी तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट के खसरा नम्बर 191 रकबा 0.23 है0 जो कि काफी छोटा रकबा है में से 0.02 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा इसी खसरा नम्बर बाबत बंटवारे का राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें खसरा नम्बर 392 रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में तथा खसरा नम्बर 391 अपीलांट के हक में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए थे उस समय चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास खसरा नम्बर 392 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 387 व 386 सिवायचक भूमि में से रास्ता था जिससे वह अपने खेत पर आता–जाता था इसलिए बंटवारे के वाद में रास्ते बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कोई उज्र नहीं लिया गया यदि रेस्पोडेंट संख्या 1 को रास्ते की आवश्यकता थी तो राजस्व मण्डल की वृहद पीठ में पारित आदेश जिसमें कि राजस्व नियम 18 से 21 की पालना के साथ–साथ समस्त सह खातेदारों को अपने हिस्से पर आने–जाने बाबत बंटवारे के वाद में रास्ते संबंधी बिंदु को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक था जो उज्र रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने बंटवारे के वाद में नहीं लिया गया क्योंकि उसके पास सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 386, 387 में से आने जाने के लिए रास्ता होने से उज्र नहीं उठाया। जिस बाबत परीक्षण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वैकल्पिक रास्ते बाबत उक्त मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार की जांच नहीं किए जाने से सुविधा की दृष्टि से रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपीलांट के खसरा नम्बर 391 में से रास्ता दिए जाने के आदेश प्रदान कर अपने क्षेत्राधिकार को काम में लेने में विफल रहे है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 205/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की आराजीयात ग्राम नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेरं उक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी की आराजी ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 392 रकबा 0.23 किस्म चाही–1 पक्षकारान के संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की आराजी है खसरा संख्या 392 में पहुंच के प्रयोजन से खसरा नम्बर 391 में से नया मार्ग खुलवाया जाने का निवेदन किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 11.9.2019 के विरूद्ध अपील न्यायालय अधिकारी केकडी के दिनांक 11.9.2019 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 157/2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किया जाकर मौका रिपोर्ट तहसीलदार केकडी के अनुसार दिनांक 12.9.2022 की मौका रिपोर्ट ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 392 में जाने हेतु खसरा नम्बर 391 जो कि सिवायचक दर्ज है जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के मु0न0 157/2017 में निर्णय दिनांक 12.2.2021 से रास्ता पारित किया गया जिसे मौके पर पूर्व में खुलाया भी था अभी मौके पर पहुंच मार्ग रिकार्डेड से जो सरकार खसरा नम्बर 391 में से नया रास्ता मंजूर हुआ है वह मौके पर पहुंच मार्ग रिकार्डेड

1.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

से जो सरकार खसरा नम्बर 391 में से नया रास्ता मंजूर हुआ है वह मौके पर गेट लगा है तथा रास्ते में जानवर बांधते है तथा कुछ चारा भी रखा हुआ है बाकी रास्ता खुला रखा है पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ते के पास नयागांव से गांव के पालसा तक जाने वाला रिकार्डेड रास्ता गुजरता है जिसमें खसरा नम्बर 399 सिवायचक खसरा नम्बर 399 गै0मु0 रास्ता है जो रिकार्ड में है स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 1925/391 रकबा 0.02 है0 उपर्युक्त मार्ग है पूर्व में ही रास्ते में आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 से प्रार्थी द्वारा रकम जमा करदी है। पूर्व में स्वीकृत रास्ता ही विकल्प है दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस रास्ते को निरस्त किया जाना कतई उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में वर्तमान रेस्पोडेंट का वाद पत्र अंतर्गत धारा 251 एक आरटी एक्ट मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 392 में जाने हेतु खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 है0 में से खसरा संख्या 0.02 है0 मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाकर मौके पर रास्ता खुलासा करवाया जाने के आदेश दिए है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 205/2021 उनवानी रामपाल बनाम रामदयाल में दिनांक 30.11.2022 को दिया गया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 12.12.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रथम सुनवाई दिनांक 12.12.2022 को ही न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय सुनवाई के बाद मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया गया था।

8. उभयपक्ष वकील बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार रेस्पोडेंट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ केकडी न्यायालय में 251ए आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 11.9.2019 को रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया था जिसकी अपील हमारे द्वारा न्यायालय हाजा आरएए अजमेर में की गई थी। हमारी अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.2.2021 को प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी केकडी को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया था कि नियम 69 के तहत तहसीलदार स्वयं दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट प्राप्त करेगा, इसके पश्चात उभयपक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्देश जारी किया। मगर रिमाण्ड केस में उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.11.2022 से अप्रार्थी के पक्ष में रास्ता दर्ज करने हेतु आदेश जारी किया है, जिसकी हम अपील कर रहे है। वकील अपीलांट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 391 व 392 है जो नया गांव कुमावतों का में स्थित है। इन दोनों खसरा नम्बरों के हम सहखातेदार हैं। इन दोनों खसरा नम्बरों बाबत एक नियमित वाद धारा 53, 88, 188 में चल रहा था जो राजीनामे से निस्तारित हुआ है उक्त प्रकरण में दिनांक 30.6.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गई थी। तथा दिनांक 30.6.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई थी। मगर

1.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजीनामें में रास्ते बाबत कोई विचार नहीं किया गया खसरा नम्बर 399 गैर मुमकिन रास्ता है। खसरा नम्बर 392 से खसरा नम्बर 386 व 387 जुडे हुए है जो कि वैकल्पिक रास्ता है। एक अन्य भूमि सहखातेदारी में है जिसके बटवारे हेतु एसडीओं के यहां वाद विचाराधीन है। खसरा नम्बर 391 का गेट मैंने बंद किया है, खसरा नम्बर 391 के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि 391 का क्षेत्रफल बहुत कम है। रेस्पोडेंट चाहते तो बंटवारे के वाद पत्र में रास्ते की व्यवस्था करवाते। ऐसी स्थिति में 251 ए की आवश्यकता नहीं होती। वैकल्पिक रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट में कोई कथन नहीं किया गया जब कि वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 386 व 387 में है, बंटवारे में दोनों की भूमि कम होती मुझे इनके खसरा नम्बर में से भूमि दी जाए। राजस्व कार्मिक रिपोर्ट में पूर्व वाली रिपोर्ट में रास्ता दर्ज होने की बात बताई जबकि रिमाण्ड प्रकरण में रास्ता निरस्त किया जा चुका था।

9. रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि हमारे खसरा नम्बर 392 है इस तक आने हेतु कोई रास्ता नहीं है। राजीनामें से बराबर भूमि हम दोनों को मिली अन्य गांवों की भूमि में रास्ता खुलवाने हेतु अपीलांट कानूनी रास्ता अपनाए बंटवारे का विवाद आपसी समझौते से निपटाया गया था। मौके पर हमारे खेत पडत है यह जाने नहीं देते हैं। खसरा नम्बर 386, 387 बाबत कोई दस्तावेज नहीं है राजीनामें में नियम 18 से 21 की पालना बाबत कोई आवश्यकता नहीं है आदेश को बहाल रखा जाए।

10. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि दावा विचाराधीन था यह इन्होंने माना यह स्वच्छ हाथों से न्यायालय मे नहीं आए हैं बंटवारे का दावा व 251 का प्रार्थना पत्र इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। वैकल्पिक रास्ते बाबत नक्शा हमने प्रदर्शित किया है जिसमें खसरा नम्बर 386 व 387 रास्ते के रूप में है, इन्होंने खसरा नम्बर 386 व 387 को कब्जे में ले लिया है अब हमारे खेत से जाना चाहते है। अपील स्वीकार की जाए व प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

11. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का व 251 आरटी एक्ट का अवलोकन किया गया। 251 क के अनुसार खातेदार की जोत में

1.कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईपलाइन बिछाना चाहता है,या

2.कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचाने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे ओर उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। वह रास्ते हेतु आदेश जारी कर सकता है। इस हेतु जिस

1.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खातेदार के खेत से होकर रास्ता निकाला जाता है उसे प्रतिकर राशि दी जाएगी।

3. नियम 69 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साईट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

क. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत(हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है,एवं

ख. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

12. रिमाण्ड प्रकरण में दिए गए निर्देशों का अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय का अवलोकन किया गया न्यायालय आरएए द्वारा निम्नलिखत निर्देश दिए गए है– दिनांक 12.2.2021 को प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी केकडी को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया था कि नियम 69 के तहत तहसीलदार स्वयं दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट प्राप्त करेगा, इसके पश्चात उभयपक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करेगा।

13. रिमाण्ड प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.2021 को तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने बाबत निर्देश दिया है, तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.9.2022 को 11 बिंदुओं की एक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को भिजवाई है। मौका निरीक्षण स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं किया जाकर नायब तहसीलदार केकडी एवं आईएलआर द्वारा किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है, " मौके पर उपस्थित पक्षकार रामदयाल पुत्र जग्गा द्वारा अवगत करवाया गया कि उसे उपरोक्त स्वीकृत रास्ते के बदले में अन्य संयुक्त खातेदारी आराजी में रास्ता चाहिए जिस संबंध में दोनों पक्षकारों ने अवगत कराया कि वास्ते बंटवारा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है मौके पर स्वीकृत रास्ता 1925/391 रकबा 0.02 गैर मुमकिन रास्ता पर कटाने रास्ते खसरा नम्बर 399 के पश्चात लोहे का गेट लगाकर रामदयाल/ जग्गा द्वारा बंद किया गया है। इसके पश्चात रास्ता रिक्त है व जानवर बांधे जाते हैं"।

14. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दिनांक 25.11.2021 द्वारा गिरदावर बघेरा के अनुसार रामदयाल ने कहा कि मेरे बघेरा के खसरा नम्बर 1053 में खेत में रामपाल ने रास्ता रोक रखा है जो वह खुलासा कर देवे तो मैं रास्ता देने के लिए तैयार हूं। तहसीलदार की रिपोर्ट बिंदु नम्बर 3 के अनुसार प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर खसरा संख्या 399 नया गांव से गांव के पालसा तक जाने वाला रिकार्डेड रास्ता निकलता है।

15. जमाबंदी ग्राम नया गांव तहसील केकडी संवत 2072–75 के खाता संख्या 241 नया में विवादित खसरा नम्बर 391 व 392 अंकित है जो कि वर्तमान अपीलांट रामदयाल और वर्तमान रेस्पोडेंट 1 रामपाल के नाम सहखातेदारी में अंकित है। वर्तमान रेस्पोडेंट रामपाल द्वारा वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट व अन्य के विरूद्ध एक राजस्व वाद 40/2017 धारा 88, 53, 188, 209 आरटी एक्ट के तहत दर्ज करवाया था जिसमें निर्णय दिनांक 30.6.2017 से प्राथमिक डिकी जारी की गई तथा डिकी के आदेश के कम में नामांतरकरण संख्या 870 दिनांक 25.10.2018 जिसमें विवादित खसरा नम्बर 391 रकबा 0.23 रामदयाल वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज किया गया तथा विवादित खसरा नम्बर 392 रकबा 0.23 वर्तमान रेस्पोडेंट 1 रामपाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.9.2022 के बिंदु 2 के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में आवागमन किस भूमि से कर रहा है। इस बिंदु की टिप्पणी में तहसीलदार ने यह अंकित किया है–पडोसी खातेदार को भूमि बोने हेतु बाटे पर दे रखी है। जिससे पडोसी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 388, 389 भंवरलाल पुत्र बालू कुमावत वगैराह से आता जाता रहा है। बिंदु संख्या 4 में तहसीलदार द्वारा यह टिप्पणी अंकित की है स्वीकृत रास्त खसरा संख्या 1925/391 रकबा 0.02 है0 जो ही उपयुक्त है अंकित किया है।

16. उक्त स्वीकृत रास्ता खसरा संख्या 1925/391 रकबा 0.02 है0 उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने प्रथम निर्णय दिनांक 11.9.2019 को प्रकरण संख्या 157/2017 में दिया गया था मगर उक्त निर्णय ही आरएए न्यायालय अजमेर द्वारा अपील संख्या 452/2019 निर्णय दिनांक 12.2.2021 से निरस्त कर दिया गया था तथा प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर दिया गया था। अतः निरस्त निर्णय के अनुकम में दर्ज रास्ते बाबत टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 24.8.2021 को रिपोर्ट मंगवाने हेतु निर्देशित किया गया था मगर वह स्वयं मौके पर नहीं जाकर अन्य राजस्व कर्मियों को भेजा है जो उचित नहीं है। रिमाण्ड केस में दिए गए निर्णय की उनके द्वारा पूरी तरह अवहेलना कि गई है जबकि रिमाण्ड निर्देश में तहसीलदार को स्वयं को मौका निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

17. रिमाण्ड प्रकरण 47/2021 अधीनस्थ न्यायालय केकडी प्रोसिडिंग दिनांक 22.6.2021 से दिनांक 30.11.2022 का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के निपटारे से पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की जानी होती हैं (नियम 69) इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक और अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद उसे जब यह समाधान हो जाता है कि रास्ते की परम आवश्यकता है, और वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध हो गया है व आवेदन पत्र को स्वीकृत करे सकेगा। इस नियम 69 की पालना उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिल्कुल नहीं की गई है नहीं उसके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के बाद आपत्ति आमंत्रित कर पक्षकारों को बुलाया है। न ही उनके आक्षेप प्राप्त किए है। जो रास्ता अपील प्रकरण में निरस्त किया जा चुका था उसी रास्ते को अस्तित्व में बताते हुए अविधिक निर्णय दिया है जो उचित नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.9.2022 के बिंदु 2 में अन्य रास्ते का होना पाया जाता है जिसका उपयोग कर रेस्पोडेंट अपनी भूमि में आता जाता रहता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर बिना नियमों की पालना के निर्णय किया है जो खारिज होने योग्य है।

18. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 205/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किए

1.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट बनाए तथा उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी नियम 69 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी कर बुलाकर आक्षेप प्राप्त कर और यदि उचित समझे तो अन्य अग्रिम जांच करवाकर युक्तियुक्त निर्णय करें, जिसमें इस बात का जरूर हवाला हो कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

1.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 01.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

1.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner